



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 76) पटना, बुधवार 23 मार्च 2011

विधि विभाग

अधिसूचना

23 मार्च 2011

सं० एल०जी०-1-07/2011/लेज-13—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 21 मार्च 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 1, 2011]**बिहार विनियोग अधिनियम, 2011**

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2010-11 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 39,16,76,86,000 (उनतालीस अरब सोलह करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार) रुपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 01 अप्रैल 2010 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 39,16,76,86,000 (उनतालीस अरब सोलह करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार) रुपये, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लेखित राशियों से अधिक न होंगे, निकाले जा सकेंगे ।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 01 अप्रैल 2010 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	6,00,000		6,00,000
		पूंजी			
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	3,92,27,000		3,92,27,000
		पूंजी			
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व			
		पूंजी	67,82,26,000		67,82,26,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	6,99,34,000		6,99,34,000
		पूंजी			
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व			
		पूंजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	18,00,000		18,00,000
		पूंजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व	58,60,000		58,60,000
		पूंजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	2,38,02,000		2,38,02,000
		पूंजी			
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	2,94,02,31,000		2,94,02,31,000
		पूंजी			
10	उर्जा विभाग	राजस्व	91,85,32,000		91,85,32,000
		पूंजी	3,72,47,39,000		3,72,47,39,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	21,71,00,000		21,71,00,000
		पूंजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व	66,05,000		66,05,000
		पूंजी			
13	सूद भुगतान	राजस्व			
		पूंजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूंजी			

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियाँ		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व			
		पूँजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	2,67,54,95,000		2,67,54,95,000
		पूँजी			
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	9,28,60,000		9,28,60,000
		पूँजी			
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	7,25,44,000		7,25,44,000
		पूँजी			
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	85,08,43,000		85,08,43,000
		पूँजी	9,89,25,000		9,89,25,000
21	मानव संसाधन विकास विभाग	राजस्व	5,14,08,72,000		5,14,08,72,000
		पूँजी	8,31,93,000		8,31,93,000
22	गृह विभाग	राजस्व	2,05,17,91,000		2,05,17,91,000
		पूँजी	1,45,33,05,000		1,45,33,05,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	1,16,78,94,000		1,16,78,94,000
		पूँजी			
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	8,89,29,000		8,89,29,000
		पूँजी			
27	विधि विभाग	राजस्व	49,57,82,000		49,57,82,000
		पूँजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		1,13,42,000	1,13,42,000
		पूँजी			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व			
		पूँजी			

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	36,78,03,000		36,78,03,000
		पूंजी			
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
32	विधान मंडल	राजस्व	26,00,000		26,00,000
		पूंजी			
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	45,26,02,000		45,26,02,000
		पूंजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व			
		पूंजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	2,00,000		2,00,000
		पूंजी	30,00,00,000		30,00,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	70,00,000		70,00,000
		पूंजी			
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	8,00,87,000		8,00,87,000
		पूंजी			
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	5,37,42,85,000		5,37,42,85,000
		पूंजी			
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	61,03,78,000		61,03,78,000
		पूंजी			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व			
		पूंजी	4,91,17,00,000		4,91,17,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	17,94,33,000		17,94,33,000
		पूंजी			
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	2,10,00,000		2,10,00,000
		पूंजी			
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	53,10,98,000		53,10,98,000
		पूंजी			
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व			
		पूंजी	48,27,000		48,27,000

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	1,07,70,000		1,07,70,000
		पूँजी			
47	परिवहन विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	12,11,00,000		12,11,00,000
		पूँजी	17,00,000		17,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	2,28,65,00,000		2,28,65,00,000
		पूँजी			
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	99,41,72,000		99,41,72,000
		पूँजी			
योग राजस्व			27,89,97,29,000	1,13,42,000	27,91,10,71,000
योग पूँजी			11,25,66,15,000		11,25,66,15,000
महायोग			39,15,63,44,000	1,13,42,000	39,16,76,86,000

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 76-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>